Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd.
Udyog-Bhawan, Tilak-Marg, Jaipur-302005

No: IPI/P.6/Policy/316/2024 /335
Date: 1, Sept. ~~August~~, 2026

ORDER (56/2026)

Sub: Partial amendment in Rule 3(AJ) regarding forfeiture of Earnest Money of the successful applicant due to withdrawal of application before the last date of deposition of Earnest Money and on discrepancies/ dis-similarity in MoU with application.

An agenda item (13) was placed before the Infrastructure Development Committee (IDC) in its meeting held on 18.08.2026. The Committee discussed the agenda and accorded approval of partial amendment in the Rule 3(AJ) as under:

Rule	Existing Rule	Amendment
3(AJ) 4	अमानत राशि (Earnest Money) : आवेदक को भूखण्ड की कुल देय प्रीमियम राशि का 5 प्रतिशत राशि आवेदन के साथ ही ऑनलाइन माध्यम से रीको के बैंक खाते में जमा करानी होगी।	अमानत राशि (Earnest Money) : आवेदक को भूखण्ड की कुल देय प्रीमियम राशि का 5 प्रतिशत राशि आवेदन के साथ ही ऑनलाइन माध्यम से रीको के बैंक खाते में जमा करानी होगी। **किसी कारणवश आवेदक द्वारा अमानत राशि जमा कराने की निर्धारित अन्तिम तिथि के निर्धारित समय तक आवेदन वापस लिये जाने की प्रार्थना पर जमा अमानत राशि बिना किसी कटौती के आवेदक को लौटा दी जावेगी। साथ ही ईआरपी पोर्टल पर आवेदक द्वारा अमानत राशि जमा कराये जाने की अन्तिम तिथि के निर्धारित समय तक आवेदन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया जावेगा।** **नोट- यदि किसी आवेदनकर्ता द्वारा एक व्यक्ति के नाम से एक से अधिक एमओयू निष्पादित कर एक ही भूखण्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रथम आवेदन को ही स्वीकार कर अन्य आवेदन को निरस्त कर लॉटरी में शामिल नहीं किया जावेगा।** **इस हेतु ईआरपी पर समान PAN, CIN No., SSO ID से एक से अधिक किये गये आवेदन को रोकने का प्रावधान किया जावेगा।**
5	1. भुगतान की प्रक्रियाः i. आवेदन स्वीकृत होने के बाद सफल आवेदक को भूखंड आवंटन हेतु आवेदन की स्वीकृति	1 भुगतान की प्रक्रियाः i. आवेदन स्वीकृत होने के बाद सफल आवेदक को भूखंड आवंटन हेतु आवेदन की स्वीकृति के प्रस्ताव

	के प्रस्ताव पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर निम्नलिखित राशि जमा करानी होगीः ▪ *प्रीमियम राशि का 1% धरोहर राशि (Security Money) के रूप में। ▪ पहले से जमा अमानत राशि को समायोजित करने के बाद *प्रीमियम राशि का 25% (*प्रीमियम राशि = आरक्षित आवंटन दर X भूखण्ड का क्षेत्रफल) ii. यदि उपरोक्त (i) में उल्लेखित राशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं की जाती है तो पहले जमा की गई अमानत राशि (EMD) बिना कोई नोटिस दिये जब्त कर ली जायेगी तथा आवंटन का ऑफर लेटर स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।	पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर निम्नलिखित राशि जमा करानी होगीः ▪ *प्रीमियम राशि का 1% धरोहर राशि (Security Money) के रूप में। ▪ पहले से जमा अमानत राशि को समायोजित करने के बाद *प्रीमियम राशि का 25% (*प्रीमियम राशि = आरक्षित आवंटन दर X भूखण्ड का क्षेत्रफल) ii. यदि उपरोक्त (i) में उल्लेखित राशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं की जाती है तो पहले जमा की गई अमानत राशि (EMD) **विशेष परिस्थिति के अतिरिक्त** बिना कोई नोटिस दिये जब्त कर ली जायेगी तथा आवंटन का ऑफर लेटर स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। **विशेष परिस्थिति** **लॉटरी में घोषित सफल आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में त्रुटि एवं आवेदन पत्र में त्रुटि होने अथवा आवेदक द्वारा प्रस्तुत एमओयू तथा आवेदन प्रपत्र में विरोधाभास होने की दशा में जमा अमानत राशि (EMD) में से भूखण्ड की कीमत की 0.5 प्रतिशत राशि की कटौती कर शेष राशि आवेदक को लौटा दी जावेगी।** **नोट: उपरोक्त प्रावधान प्रत्यक्ष आवंटन योजना के लागू होने की तिथि से प्रभावी होंगे।**

The Committee also authorized the Managing Director to consider the cases before implementation of above-mentioned amended rules. Advisor (Infra) will be authorized for the cases after issue of the amendment in rules on case-to-case basis on the merit of the case.

(Nimisha Gupta)
Advisor (Infra)

Copy to:
1. units@riico.co.in
2. staff@riico.co.in